No.1/3/2018-Coord.
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
******

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 13th April, 2018

To,

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
4. Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
5. Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member

Subject: Summary Record of discussions of 103rd Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 22.3.2018 at 12:00 at Noon.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 103rd meeting of the National Commission for Scheduled Tribes was held on 22.3.2018 at 12:00 Hrs. in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

(S.P. Meena)
Assistant Director

Copy of the Summary Record of discussions of 103rd meeting of NCST is forwarded to the following Officers with request that information about action taken on the decision taken in the meeting concerning each Unit/Office may be furnished to Coordination Cell by 1.5.2018 positively:

(i) Deputy Secretary (RU-I & II)
(ii) Under Secretary (Estt.)
(iii) Assistant Director (RU-II & Coordination)
(iv) Assistant Director (RU-I & OL)
(v) Assistant Director (RU-III & Admin)
(vi) Reasearch Officer (RU-IV)

Copy of Summary Record of discussion of 103rd meeting is enclosed for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. PA to Hon'ble Member (Shri HKD), NCST
4. PS to Hon'ble Member (Shri HCV), NCST
5. PS to Hon'ble Member (Smt. MCI), NCST
6. Sr.PPS to Secretary, NCST
7. PA to Joint Secretary, NCST
8. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
9. NIC, NCST for uploading on the website.

No 1/3/2018-समन्वय.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

छठा तल, 'बी' विगं, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दिनांकः 13 अप्रैल, 2018

सेवा में,

1. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष,
2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष,
3. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य,
4. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, माननीय सदस्य,
5. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य,

विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 22.3..2018 को 12:00 बजे सम्पन्न 103वीं बैठक मे हुई चर्चा का कार्यवृत्त

महोदय / महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का उल्लेख करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग की 103वीं बैठक आयोग के सम्मेलन कक्ष, लोकनायक भवन, नई दिल्ली मे दिनांक 22.3..2018 को 12:00 बजे सपन्न हुई थी। बैठक की अध्यक्षता श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई। बैठक मे हुई चर्चा का कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं अभिलेख हेतु संलग्न है।

भवदीय,

(एस.पी.मीना)

सहायक निदेशक

103वीं बैठक की कार्यवृत की एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि बैठक मे लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध मे जानकारी, प्रत्येक संबधित एकक / कार्यालय द्वारा दिनांक 1.5.2018 तक अवश्य ही समन्वय एकक को भेज दी जाए।

1. उप सचिव (अनुसंधान एकक– I & II)
2. अवर सचिव (स्थापना)
3. सहायक निदेशक, (अनुसंधान एकक– II)
4. सहायक निदेशक, (राजभाषा एवं अनुसंधान एकक–I)
5. सहायक निदेशक (प्रशा. एवं अनुसधान एकक– III)
6. अनुसंधान अधिकारी (आर.यू–4)

प्रतिलिपि, 103वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषितः

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य (श्री एच.के.डी) के निजी सहायक
4. माननीय सदस्य (श्री एच.सी.वी) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य (श्रीमती एम.सी.आई) के निजी सहायक
6. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव के निजी सहायक
8. निदेशक / सहायक निदेशक / अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / भुवनेश्वर / जयपुर / रायपुर / रांची / शिलांग।
9. आयोग की एनआईसी वेबसाइट पर डालने हेतु।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 103वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त

(फाईल सं. 1/3/2018–समन्वय)

दिनांक : 22..3.2018 समय : 12.00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

प्रतिभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
4. श्री मती माया चितांमण इवनाते, सदस्य
5. श्री राघव चंद्रा, सचिव
6. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
7. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
8. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
9. श्री एस.पी. मीना, सहायक निदेशक
10. श्री आर.के दुबे, सहायक निदेशक
11. श्री आर.एस मिश्र, व. अन्वेषक

बैठक के लिए निर्धारित कार्य सूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

कार्यसूची मद सं0 1 Agenda Item No.1	"कन्ध कुम्भार/कंध कुम्भार" समुदाय को ओड़िशा राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 31 पर "कन्ध" समुदाय के उपजाति के रुप में शामिल करने हेतु। Inclusion of "Kandha Kumbhar" (कन्ध कुम्भार/कंध कुम्भार) community as a sub set of 'Kandha" community at Sl. No. 31 in the Scheduled Tribes list of Odisha State.

(File No. 17/Inclusion/8/2017/RU-III)

8/A

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उपरोक्त विषय पर पत्र संख्या 12026/44/2013-C&LM-I दिनांक 2.11. 2017 के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या 12026/44/2013–सी.एण्ड एल.एम 1 दिनांक 15. 07.2016 की प्रति संलग्न करते हुए आयोग की प्रकरण पर टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया। "कन्ध

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कुम्भार/कंध कुम्भार" समुदाय के समावेशन का मुद्दा आयोग की 99वीं बैठक दिनांक 10.11.2017 में रखा गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त मामले में ओडिशा सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की एक प्रति जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त की जाए। तत्पश्चात्, ओडिशा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में "कन्ध कुम्भार" समुदाय के समावेशन के लिए परीक्षण हेतु उस क्षेत्र में जाकर वस्तु स्थिति पर रिपोर्ट आयोग के समक्ष टिप्पण के लिए रखी जाए।

1.2 ओडिशा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में **"कन्ध कुम्भार"** समुदाय के समावेशन के संबंध में दिनांक 22.11.2017 को संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने ओडिशा राज्य का दौरा किया और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ओडिशा सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की। आयोग के ध्यान में लाया गया कि ओडिशा राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची में "कन्ध कुम्भार" समुदाय (एक पारंपरिक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिणक रूप से पिछड़े पाए जाते है और "कन्ध" की जो भी जनजातीय विशेषताएं होती हैं, उनमें पाई जाती हैं) के समावेशन के लिए प्रस्ताव की ओडिशा सरकार और एस.सी.एस.टी.आर.टी.आई (1995), भुवनेश्वर के नृजाति अध्ययन द्वारा जांच की गई थी। जनजातीय सलाहकार परिषद के अनुमोदन के पश्चात, ओडिशा सरकार ने भारत सरकार को एसएसडी विभाग पत्र संख्या 24223/एसएसडी (17.07.2002), संख्या 19919/एसएसडी (25.09.2009) और संख्या 22620/एसएसडी (17.07.2012) के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा। "कन्ध कुम्भार" समुदाय के समावेशन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, ओडिशा सरकार में एक बैठक आयोजित की गई। और यह निर्णय लिया गया कि ओडिशा राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में उसी तरह के नाम अर्थात "कन्ध गोड" के समान अन्य सेवारत समुदाय को क्रम संख्या 27 और 31 में शामिल किया गया है, इस प्रकार "कन्ध कुम्भार" समुदाय को ओडिशा राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम संख्या 31 पर सम्मिलित जनजाति के पर्यायवाची के रूप में शामिल किया जाए।

1.3 ओडिशा राज्य सरकार के उपरोक्त प्रस्ताव का, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने अर्धशासकीय पत्र संख्या 8/1/2016–एस.एस (ओडिशा) दिनांक 12.7.2016 द्वारा समर्थन करता है।

1.4 प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरांत, आयोग "कन्ध कुम्भार/कंध कुम्भार" समुदाय को ओड़िशा राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 31 पर "कन्ध" समुदाय के उपजाति के रुप में शामिल करने के लिए समर्थन करता है।

(After detailed deliberations, Commission supports proposal for inclusion of "Kandha Kumbhar" (कन्ध कुम्भार/कंध कुम्भार) community as a sub set of 'Kandha" community at Sl. No. 31 in the Scheduled Tribes list of Odisha State.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 2	माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा वर्ष 2017–18 में जिला समीक्षा रिपोर्ट को अनुंसधान एकको द्वारा अंतिम रूप देने हेतु।
Agenda Item No. 2	Finalization of District Review Report for year 2017-18 to be presented by Research Unit(s) in consultation with Hon'ble Chairperson, Vice-Chairperson and Members.

F/B

माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा वर्ष 2017–18 में प्रदेशों के विभिन्न जिलों की समय–समय पर समीक्षा की गई है। ऐसा देखने में आया है कि एक जिले की समीक्षा विभिन्न तिथियों में भी की गई है। अतः उस जिले की एक समीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति हेतु अनुसंधान एकको को कार्य करने की आवश्यकता है। यह प्रकरण आयोग के समक्ष विचारार्थ रखा गया।

2.2 उपरोक्त प्रकरण पर यह निर्णय लिया गया कि माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा वर्ष 2017–18 में की गई जिलों की समीक्षा रिपोर्ट को आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

(On the above issue, it was decided that the District(s) Review Report of Hon'ble Chairperson, Vice-Chairperson and Members during 2017-18 to be presented as Annexure of the Annual Report of the NCST.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 3 **Agenda Item No. 3**	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की छठवीं (वर्ष 2010–11) सातवीं (वर्ष 2011–12) तथा आठवीं (वर्ष 2012–13) रिपोर्टो पर जनजातीय कार्यमत्रांलय का कार्यवाही ज्ञापन। Action Taken Memorandum (ATM) of Ministry of Tribal Affairs on Sixth (for the year 2010-11) Seventh (for the year 2011-12) and Eighth (for the year 2012-13) report of National Commission of Scheduled Tribes.

(File No. 4/6/2015-Coord (Part)

संविधान के अनुच्छेद 338 क के खण्ड (6) के अनुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट तथा उस पर संघ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन के साथ संसद के प्रत्येक सदन में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा रखी जाती है।

3.2 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की छठवीं (वर्ष 2010–11) सातवीं (वर्ष 2011–12) तथा आठवीं (वर्ष 2012–13) रिपोर्टो पर तैयार किया गया कार्यवाही ज्ञापन आयोग के अवलोकनार्थ तथा चर्चा हेतु प्रस्तुत किए गए।

3.3 **आयोग ने यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण पर अगली बैठक में चर्चा की जाए।**

(Commission decided that this matter should be discussed in next meeting.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 4	माननीय उच्चतम न्यायालय में डब्लू.पी (सिविल) संख्या 76 / 2003 ए.स नागेन्द्र व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य के मामले में आयोग द्वारा कर्नाटक के मालेरू समुदाय का अनुसूचित जनजाति की स्थिति स्पष्ट करने के बारे में दाखिल की गई रिपोर्ट को रद्द करने हेतु।
Agenda Item No. 4	To rescind the report of the NCST submitted before the Apex Court in W.P (Civil) No. 76 of 2003 A.S Nagendra & Ors. Vs State of Karnataka & Ors - regarding ST status of Maleru community of Karnataka

(RVS/2/2016/ STGKN/SEOTH/RU-IV)

इस संदर्भ में यह बताया जाता है कि रिट याचिका (सिविल) सं. 2003 की 76 ए. एस. नागेन्द्र व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य में माननीय शीर्ष न्यायालय के दिनांक 27.10.2004 के निर्देशों के अनुपालन में आयोग ने माननीय शीर्ष न्यायालय के समक्ष कर्नाटक के मलेरू अनुसूचित जनजाति समुदाय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट, आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद, सुनवाइयों, शिमोगा और चिकमगलूर के उपायुक्तो, भारत के महापंजीयक, भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण की रिपोर्टों और आयोग के सदस्य की जांच रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में यह वर्णित किया गया है कि मलेरू और मालेरू समुदाय, कर्नाटक राज्य में दो अलग–अलग समुदाय हैं और मालेरू समुदाय से संबंधित व्यक्ति, अनुसूचित जनजातियों के लिए देय लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं। (रिपोर्ट के पृष्ठ 57–59 की प्रति संलग्न है)।

4.2 माननीय शीर्ष न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 2003 की 76 ए.एस. नागेन्द्र व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य में दिनांक 18.4.2013 के आदेश द्वारा इस मामले का निपटान किया, जो नीये पुनः प्रस्तुत है:–

> "विद्वान वरिष्ठ वकील (याचिकाकर्ता) ने याचिकाकर्ता के लिए कानून में उनके लिए उपलब्ध किसी अन्य उपचार को अपनाने की स्वतंत्रता के साथ, इस रिट याचिका को वापस लेने के लिए प्रार्थना की है।
> उन्होंने यह भी प्रार्थना की है कि याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट का सामना करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
> उक्त कथित स्वतंत्रता के साथ इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।"

4.3 शीर्ष न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुसरण में श्री रामामूर्ति वी.एस., बैंगलुरू ने विभिन्न अभ्यावेदनों में अलग–अलग संदर्भों के माध्यम से बताया कि मलेरू और मालेरू कर्नाटक राज्य में एक ही समुदाय हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मालेरू समुदाय के लोग जांचों और नौकरियों

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

से बर्खास्तगी आदि के रूप में कठिनाई का सामना कर रहे हैं और उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदनों एवं अपीलों के माध्यम से मलेरू समुदाय पर रिपोर्ट को रद्द करने के लिए आयोग द्वारा की गई कार्रवाई पर सूचना भी मांगी थी। श्री रामामूर्ति के पत्र दिनांक 28.04.2017 की प्रति संलग्न है।

4.4 उपरोक्त प्रकरण आयोग की 102वीं बैठक दिनांक 23.2.2018 में विचारार्थ रखा गया था, जिसे आयोग की अगली बैठक में विचार के लिए स्थगित कर दिया गया था।

4.5 **प्रकरण पर विस्तृत चर्चा हुई तथा वर्तमान आयोग ने तत्कालीन माननीय अध्यक्ष तथा तीन सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मई मास 2005 में तैयार रिपोर्ट का समर्थन किया तथा रिपोर्ट को रदद न करने का निर्णय लिया।**

(Issue was discussed in detail and Present Commission endorses the report prepared by the then Hon'ble Chairperson and Three Members of NCST in month of May, 2005 and decided to not to rescind the report.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

ADDITTIONAL AGENDA ITEMS

Agenda Item No. 1 कार्यसूची मद सं0 1	Shifting of Research Units I to IV, stores and Hindi Section to 5th Floor of Lok Nayak Bhawan. लोकनायक भवन के पांचवें तल पर अनुसंधान एकक I से IV, स्टोर और हिंदी अनुभाग का स्थानांतरण।

FIE

अतिरिक्त कार्य सूची मद संख्या

(File No. 1/1/NCST/2014-Admin)

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडबल्यूडी) ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा खाली किया गया 2808 वर्गफीट माप का अतिरिक्त स्थान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को आवंटित किया और उपरोक्त स्थान (एक हॉल छोडकर) को आयोग द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। जैसा कि लोकनायक भवन के छठे तल में आयोग के लिए स्थान की कमी है, इसलिए लोकनायक भवन के पांचवे तल पर अनुसंधान एकक I से IV, स्टोर और हिंदी अनुभाग का स्थानांतरण करना प्रस्तावित है। इससे सम्मेलन कक्ष को बड़ा करने और एक नया बैठक कक्ष बनाने में सुविधा होगी। प्रकरण आयोग के विचारार्थ एवं सूचनार्थ रखा गया।

1.2 **आयोग अवगत हुआ।**

(Commission was aware.) made.

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं0 2	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन–विचार के संबंध में
Additional Agenda Item No. 2	Amendment in the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) POA Act, 1989-view reg.

PIF

(फाइल सं. एमटीए/1/2018/एमटीएएफ1/एटीओटीएच/आरयू–2)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने अ.शा. पत्र संख्या Misc./1-Secy./2017/475 दिनांक 29.01.2018 माध्यम से राज्य सरकार द्वारा तुरंत कार्रवाई करने और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचार रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करने या उन सभी अत्याचार करने वाले उत्तरदायी अभियोजन के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर उचित कार्यवाई करने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को लिखा था।

2.2 उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ने अ.शा. पत्र संख्या 11012/1/2016–PCR (Desk) दिनांक 1.3.2018 द्वारा समीक्षा भेजी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया कि आयोग की रिपोर्टों की प्रवृत्ति सिफारिशात्मक है। भारत के संविधान के तहत संगठित न्यायिक व्यवस्था की परिकल्पना है तथा इस अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक द्वारा स्थापित विशेष न्यायालय तथा अनन्य विशेष न्यायालयों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त एहतियाती तथा निवारण उपाय अत्याचार निवारण नियमावली के नियम 3 के अनुसार किए जाते हैं। इस प्रकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया कि नियमावली में प्रस्तावित संशोधन तर्कसंगत नहीं है।

2.3 प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई तथा आयोग ने यह निर्णय लिया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रकरण पर पुर्नविचार करने को कहा जाना चाहिए।

(The issue was discussed in detail and Commission decided that the Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Social Justice & Empowerment should be asked to reconsider the issue.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं0 3	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में कार्यरत दो वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एस.एस.ए) का उनके गैर–कार्यात्मक चयन ग्रेड की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में स्थानांतरण।
Additional Agenda Item No. 3	Transfer of two Senior Secretariat Assistants (SSAs) working in National Commission for Scheduled Tribes to National Commission for Backward Classes after grant of Non-Functional Selection Grade to them.

F/G

File No. 4/2/NCST/2017-Estt.)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए दो पद वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए) और एक पद कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए) के लिए स्वीकृत हैं जिसके विरूद्ध चार एसएसए कार्यरत है। जेएसए का एक पद खाली पड़ा है। श्री डी. सी. ढौड़ियाल और श्री कुलवंत सिंह नाम के दो एसएसए को गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड़ में स्वीकृत करते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) में तैनात किया गया है। संयुक्त सचिव (प्रशा.), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ने अ.शा.पत्र संख्या ऐ–12034/6/2014–स्था.–1 दिनांक 15.12.2017 द्वारा उपरोक्त दोनों एसएसए को शीघ्र कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया ताकि दोनो लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) में ज्वाईन कर सके।

3.2 तथापि, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अ.शा. पत्र संख्या 4/2/एनसीएसटी/2017– स्था. दिनांक 16.12.2018 द्वारा आयोग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड देते हुए दोनों लोगों को अनुमति देकर वर्तमान रिक्त पदों के विरूद्ध राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में उनको रखने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अनुरोध किया। सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आयोग के उपरोक्त पत्र के संदर्भ में अ.शा. पत्र संख्या–ए–12034/6/2014–स्था. दिनांक 14.03.2018 द्वारा सूचित किया कि यह विभाग आयोग की प्रार्थना स्वीकार करने स्थिति में नहीं है क्योंकि उपरोक्त दोनों एसएसए के स्थानांतरण आदेशों को मंत्रालय में स्वीकृत बल और एसएसए ग्रेड में कार्यकाल की स्थिति के आधार पर किए गए थे।

3.3 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अत्याधिक स्टॉफ की कमी का सामना कर रहा है और किसी भी तरह आयोग के कार्य अत्यल्प स्टॉफ से हो रहे हैं। मामले को आयोग के ध्यान में लाया गया।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.4 प्रकरण पर चर्चा की गई तथा आयोग ने निर्णय लिया कि दोनों वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एस.एस.ए) को आयोग में पदासीन रखा जाए तथा उन्हे गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड़ दिया जा सकता है।

(The issue was discussed and the Commission decided that the above two Senior Secretariat Assistants (SSAs) to be retained in the Commission and they may be given Non-Functional Selection Grade in NCST.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 4	"परिवारा और तलवारा" समुदाय को कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची कमांक 38 नायक, अनुसूचित जनजाति के समानार्थी के रूप में शामिल करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रस्ताव।
Agenda Item No.4	Proposal from Ministry of Tribal Affairs for inclusion of "Parivara and Talwara" communities as synonyms of Nayaka, Scheduled Tribes listed at Sl. No. 38 in the list of STs of Karnataka State.

FH

(File No. MTA/1/2018/STGKN/DEINEX/RU-IV)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र संख्या 12016/12/2001–टी.ए (आर.एल)/सी.एण्ड.एल.एम दिनांक 21.3.2018 द्वारा "परिवारा और तलवारा" समुदाय को कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कमांक 38. नायक, अनुसूचित जनजाति के समानार्थी के रूप में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने समाज कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार, बंगलौर के पत्र संख्या SWD 23 SAD 2009 दिनांक 21.8.2017 तथा साथ में उपरोक्त समुदाय पर कर्नाटक राज्य ट्राईबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर की रिपोर्ट अग्रसारित की। भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/1/2016–एस.एस (कर्नाटक)/19 दिनांक 15.3.2018 की प्रति भी भेजी जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव पर भारत के महा रजिस्ट्रार की टिप्पणियां सम्मिलित है। मंत्रालय ने मामले में शीघ्र टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया।

4.2 भारत सरकार ने दिनांक 15.6.1999 को तथा दिनांक 25.6.2002 को पुनः संशोधित, अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विनिर्दिष्ट आदेशों में समावेश, उससे अपवर्जन तथा अन्य संशोधनो हेतु दावों के विनिर्धारण के लिए प्रविधिगों का अनुमोदित किया। प्रविधियों के अनुसार, वह प्रस्ताव जिन पर सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, भारत के महा पंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति हो, कानून में संशोधन के लिए विचारार्थ रखा जाएगा।

4.3 वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य सरकार की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कमांक 38: Naikda (नायकडा), Nayaka(नायक), Cholivala Nayaka(चौलीवाला नायका), Kapadia Nayaka(कपाडिया नायक), Mota Nayaka(मोटा नायक), Nana Nayak(नाना नायक), Naik(नायक), Nayak(नायक), Beda(बेडा), Bedar(बेडार) तथा Valmiki(वाल्मिकी) समुदाय है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4.4 उपरोक्त प्रस्ताव का कर्नाटक राज्य सरकार तथा भारत के महा रजिस्ट्रार समर्थन करता है।

4.5 प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई और एन.सी.एस.टी के विचार/टिप्पणियां निम्नानुसार है:

> "कर्नाटक सरकार ने पत्र संख्या **SWD 23 SAD 2009** दिनांक 21.8.2017 द्वारा **"Parivara and Talavara"** (परिवारा और तलवारा) समुदायों को शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन पत्र के साथ संलग्न कर्नाटक राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थान, कर्नाटक सरकार, मैसूर की रिपोर्ट में **"Parivara and Talawara"** (परिवारा तथा तलवारा) वर्णित है। आगे, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उपरोक्त वर्णित पत्र में **"Parivara and Talawara"** (परिवारा और तलवारा) को समुदाय को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है तथा भारत के महारजिस्ट्रार ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/1/2016–एस.एस (कर्नाटक)/19 दिनांक 15.3.2018 में भी **"Parivara and Talawara"** (परिवारा और तलवारा) समुदायों को शामिल करने हेतु स्वीकृति दी है। चूंकि, राज्य सरकार के प्रस्ताव में **Talavara** (तलवारा) की वर्तनी और मंत्रालय के प्रस्ताव में **Talawara** (तलवारा) विसंगति है। कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने के लिए समुदाय के नाम को अंतिम रूप देने से पहले **"Talavara or Talawara"** (तलवारा या तलवारा) समुदाय को शामिल करने के लिए कर्नाटक सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना चाहिए"।

एन.सी.एस.टी सिद्धान्तिक रूप से **"Parivara and Talawara"** (परिवारा और तलवारा) समुदायों को कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची कमांक 38 नायकडा, अनुसूचित जनजाति के समानार्थी के रूप में शामिल करने हेतु प्रस्ताव का समर्थन करता है।

(Issue was discussed in detail and the views/comments of the NCST are as under: -

> **"The Govt. of Karnataka vide letter No. SWD/23SAD/2009 dated 21.8.2017 had recommended the proposal for inclusion of "Parivara and Talavara" communities, but report of Karnataka State Tribal Research Institute, Government of Karnataka, Mysore attached with the letter described "Parivara and Talawara" communities. Further, Ministry of Tribal Affairs in their letter as mentioned above has submitted proposal for inclusion of "Parivara and Talawara" communities and Registrar General of India in their O.M No. 8/1/2016-SS (Karnataka)/19 dated 15.3.2018 had also recommended for inclusion of "Parivara and Talawara" communities. Since, there is discrepancy in the spelling of Talavara in State Government's proposal and**

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Talawara in the Ministry's proposal. The clarification for inclusion of "Talavara or Talawara" community should be obtained from the Government of Karnataka before finalization of name of community for inclusion in the list of Scheduled Tribes of Karnataka.

The NCST support the proposal in principle for inclusion of "Parivara and Talawara" communities as synonyms of Naikda, ST listed at serial No. 38 in the list of Scheduled Tribes of Karnataka State.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 5 **Agenda Item No. 5**	धारवाड तथा बेलागवी जिलो के "सिद्दी" समुदाय को कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची कमांक 50. "सिद्दी (उत्तर कनड जिले में) अनुसूचित जनजाति के साथ शामिल करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रस्ताव। Proposal from Ministry of Tribal Affairs for inclusion of "Siddi" community of Dharwad and Belagavi Districts in the list of Karnataka along with existing Scheduled Tribe "Siddi (in Uttar Kannada District) at Sl. No. 50 in the list of STs of Karnataka State.

(MTA/2/2018/STGKN/DEINEX/RU-IV)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र संख्या 12026/5/2017–सी.एण्ड.एल.एम दिनांक 21.3.2018 द्वारा धारवाड तथा बेलागवी जिलों के "सिद्दी" समुदाय को कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची कमांक 50. "सिद्दी (उत्तर कनड जिले में) अनुसूचित जनजाति के साथ शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने समाज कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार, बंगलौर के पत्र संख्या SWD 98 SAD 2014 दिनांक 20.3.2017 की प्रति अग्रसारित की। भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/1/2017–एस.एस (कर्नाटक)/दिनांक 21.7.2017 की प्रति भी भेजी जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव पर भारत के महा रजिस्ट्रार की टिप्पणियां सम्मिलित है। मंत्रालय ने मामले में शीघ्र टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया।

5.2 भारत सरकार ने दिनांक 15.6.1999 को तथा दिनांक 25.6.2002 को पुन: संशोधित, अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विनिर्दिष्ट आदेशों में समावेश, उससे अपवर्जन तथा अन्य संशोधनो हेतु दावों के विनिर्धारण के लिए प्रविधियों का अनुमोदित किया। प्रविधियों के अनुसार, यह प्रस्ताव जिन पर सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, भारत के महा पंजीयक तथा राष्ट्रीय अनुसुचित जनजाति आयोग की सहमति हो, कानून में संशोधन के लिए विचारार्थ रखा जाएगा।

5.3 वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य सरकार की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कमांक 50. "Siddi (in Uttar Kannada District) समुदाय है। "Siddi" समुदाय का क्षेत्रीय प्रतिबंध के साथ समावेशन कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 (No. 10 of 2003) दिनांक 7.1.2003 जो भारत का राजपत्र, असाधारण, दिनांक 8.1.2003 को प्रकाशित, द्वारा किया गया।

5.4 उपरोक्त प्रस्ताव पर कर्नाटक राज्य सरकार तथा भारत के महारजिस्ट्रार समर्थन करता है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5.5 प्रकरण पर आयोग ने विचार किया तथा यह पाया कि प्रस्ताव में कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची के कमांक 50. सिद्दी, समुदाय का क्षेत्रीय प्रतिबंध बढ़ाने का मामला है। यह निर्णय लिया गया कि धारवाड तथा बेलागवी जिलो में सिद्दी समुदाय के समावेशन के लिए परीक्षण हेतु उस क्षेत्र में जाकर वस्तु स्थिति पर रिपोर्ट आयोग के समक्ष टिप्पणी के लिए रखी जाए।

(The above proposal considered by the Commission, it was found that proposal relates to increase of area restriction of community of Siddi at Sl No. 50 in the list of ST of Karnataka State. It was decided that the Commission should visit the area to assess reality/facts to examine inclusion of Siddi community in Dharwad and Belagavi Districts and submit comments before the Commission.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 6	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत गिरफ्तारी और झूठी निंदा के खिलाफ सुरक्षा उपायों को संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का क्रिमिनल अपील संख्या 416/2018 का फैसला।
Agenda Item No. 6	Judgement of Hon'ble Supreme Court in Criminal Appeal No. 416 of 2018 providing safeguards against arrest and false implication under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atricities) Act, 1989.

माननीय उच्चतग न्यायालय के उपरोक्त मामले में दिनांक 20.3.2018 के निर्णय को विभिन्न समाचार पत्रों ने दिनांक 21.3.2018 को सनसनी खेज विषय बनाकर प्रकाशित किया। उदाहरणार्थः– Times of India New Delhi dated 21.3.2018 caption "No automatic arrest under SC/ST Act, says SC, allows bail; Hindustan Times, New Delhi dated 21.3.2018 caption "Arrests in SC/ST atrocity cases only after SSP's nod, rules apex court"; हिन्दुस्तान (हिन्दी) दिनांक 21.3.2018 शीर्षक "एससी–एसटी एक्ट में सीधे गिरफ्तारी पर रोक लगी"; जनसत्ता, नई दिल्ली दिनांक 21.3.2018 शीर्षक "एससी/एसटी कानूनः गिरफ्तारी के प्रावधान में संशोधन"; दैनिक भास्कर, नई दिल्ली दिनांक 21.3.2018 शीर्षक "सुप्रीम कोर्ट ने माना एससी/एसटी एक्ट का हो रहा दुरूपयोग, तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी"; राजस्थान पत्रिका दिनांक 21.3. 2018 शीर्षक "एससी–एराटी एक्टः दुरूपयोग पर सख्ती एफआइआर दर्ज होते ही तत्काल गिरफ्तारी जरूरी नहीः सुप्रीम कोर्ट"; तथा दैनिक जागरण, नई दिल्ली दिनांक 21.3.2018 शीर्षक "एससी–एसटी एक्ट में नही होगी तत्काल गिरफ्तारी" प्रकाशित हुए। आयोग ने विभिन्न समाचार पत्रों की कतरनों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर संज्ञान लिया।

6.2 आयोग ने बैठक में विस्तृत चर्चा की तथा यह पाया कि प्रकरण पर आयोग की सलाह नही ली गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से अनुसूचित जनजातियों के लोगो को न्याय मिलने में और विलम्ब का सामना करना पड़ेगा और इसके दूरगामी दुष्प्रभाव होगा। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के कार्यान्वयन का केन्द्रीय मंत्रालय **(Nodal Ministry)** है को माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण पर तुरंत पुर्नविचार याचिका दायर करने को कहा जाना चाहिए।

(Issue discussed in detail and it was observed that Commission has not been consulted in the matter. The Scheduled Tribes will not get justice in time and this will be far reaching side effects. Therefore, the Department Socail Justice & Empowerment, Ministry of Social Jusctice & Empowerment which is the Nodal Ministry for Implementation of SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act, 1989 should be asked to file a Review Petition before the Hon'ble Apex Court in the matter, immediately.

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 7	विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों/प्रवेश के लिए एक ईकाई के रूप में विभाग/विषय को आरक्षण नीति के कार्यान्वयन हेतु यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) का परिपत्र संख्या 1-5/2006 (SCT) दिनांक 5.3.2018 के संबंध में।
Agenda Item No. 7	UGC circular No. 1-5/2006 (SCT) dated 5.3.2018 regarding implementation of reservation policy in the Universities by taking Department /Subject as unit for appointments/admission.

यूजीसी के उपरोक्त परिपत्र में कहा गया है कि मामले में यूजीसी ने एक कमेटी गठित की थी जिसकी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिनांक 7.11.2017 को दी गई थी। उसके पश्चात, प्रकरण पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सलाह तथा यूजीसी की संस्तुति पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी को सूचित किया, इसके पश्चात यूजीसी ने गाईडलाईन्स 2006 में संशोधन किया। (प्रति अनुलग्नक पर है)।

7.2 **प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरांत आयोग ने यह निर्णय लिया कि यूजीसी द्वारा आरक्षण नीति कार्यान्वयन परिपत्र पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए तथा विधिवत तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की जानी चाहिए, जिससे अनुसूचित जनजातियों के लोगो को लाभ मिल सके।**

(After deliberations on issue Commission decided that Ministry of HRD should be asked to re-examinethe Reservation Policy circular Issued by the UGC and following due procedure a Review Petition be filed before the Hon'bel Apex Court, so that Scheduled Tribes could get benefits.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

कार्यसूची मद सं0 1	एन.सी.एस.सी, एन.सी.एस.टी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग के समूह क पद (निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक) तथा समूह ख पद (अनुसंधान अधिकारी, वरिष्ठ अन्वेषक तथा अन्वेषक) के भर्ती नियम, 2018.
Agenda Item No. 1	Recruitment Rules, 2018 for Group A Posts (Director, Deputy Director, Assistant Director) and Group B Posts (Research Officer, Senior Investigator and Investigator) of the Joint Cadre of National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes and Ministry of Social Justice & Empowerment and Ministry of Tribal Affairs.

F/2

माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने भारत का राजपत्र, में दिनांक 13 फरवरी, 2018 में प्रकाशित सा.का.नि 166(अ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक) (समूह क पद) भर्ती नियम, 2018 तथा सा. का.नि 167(अ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (समूह ख पद) भर्ती नियम, 2018 का मुद्दा उठाया। इन नियमों से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में संयुक्त संवर्ग के कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी पदोन्नति के लाभ से वंचित हो जाएंगे और यह उनके हित के विरूद्ध है।

1.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में संयुक्त संवर्ग के समूह क पद (निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक) तथा समूह ख पद (अनुसंधान अधिकारी, वरिष्ठ अन्वेषक तथा अन्वेषक) के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने संयुक्त संवर्ग समूह क के (ग्यारह पद, चार निदेशक, दो उप निदेशक तथा पांच सहायक निदेशक के पद है, वर्तमान में इन पदों में से दो निदेशक, दो उप निदेशक तथा एक सहायक निदेशक का पद रिक्त है।) जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा एन.सी.एस.टी. को, उपरोक्त नियम प्रकाशित होने से पूर्व ही स्थानातरित कर दिए थे। इस स्थिति में समूह क पद के लिए उपरोक्त भर्ती नियम 2018 लागू करना उचित नहीं होगा। संयुक्त संवर्ग समूह ख के पद (कुल पद 24 जिसमें छ अनुसंधान अधिकारी, आठ वरिष्ठ अन्वेषक तथा दस अन्वेषक है, वर्तमान में इन पदो में से चार अनुसंधान अधिकारी तथा पांच वरिष्ठ अन्वेषक तथा दस अन्वेषक का पद रिक्त है।) शीघ्र ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा एन.सी.एस.टी को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।

1.3 भर्ती नियमों पर चर्चा हुई तथा आयोग ने यह पाया गया कि संयुक्त संवर्ग के ग्रुप क के पद पद पूर्व में ही जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा एन.सी.एस.टी के पास स्थानातरित हो चुके है तथा संयुक्त संवर्ग के ग्रुप ख के पद शीघ्र ही एन.सी.एस.सी द्वारा स्थानातरित कर दिए जाएंगे। आयोग ने यह निर्णय लिया कि एन.सी. एस.टी अपने पदाधिकारियों/कर्मचारियों (ग्रुप क तथा ख पदों) के लिए अलग से भर्ती नियम बनाए जाए, जिससे वर्षो बिना पदोन्नति के एक ही पद पर कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी लाभान्वित हो सकेगें।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(Recruitment Rules was discussed and Commission observed that the Group A Posts of Joint Cadre had been transferred to the Ministry of Tribal Affairs and NCST earlier and Group B Posts of Joint Cadre will be transferred by NCST very soon. Commission decided that separate Recruitment Rules should be prepared for the Officers/Officials (Group A and B Posts) working in the NCST, so that officers/officials working in one post without promotion since years could be benefitted.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 2	माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा बैठक (Sitting) आयोजित करने के लिए एन.सी.एस.टी के सभा कक्ष की बुकिंग हेतु सॉफ्टवेयर
Agenda Item No. 2	Software for booking of Conference Room of NCST for holding Sitting by Hon'ble Chairperson, Vice-Chairperson and Members.

माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा प्रकरणों में एन.सी.एस.टी के सभा कक्ष में समय–समय पर बैठकें (Sitting) आयोजित की जाती हैं। यह देखने में आया है कि कभी–कभी, माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा आयोजित सिटिंग का समय एक ही हो जाता है। अतः इस विसंगति को दूर करने के लिए सभा कक्ष में बैठक आयोजित करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। ऑनलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर को आयोग के अवलोकनार्थ तथा सुझाव हेतु रखा गया।

2.2 **एन.सी.एस.टी. के सभा कक्ष के ऑनलाइन बुकिंग सॉफ्टवेयर से आयोग अवगत हुआ तथा यह निर्णय लिया गया, कि इस संबंध में माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के निजी सचिवों/निजी सहायकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जिससे वह सभा कक्ष को होने वाली बैठक के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सके।**

(Commission was apprised with the Software of Online Booking of Conference Hall of NCST and decided that the Private Secretaries/Personnal Assistants to the Hon'ble Chaiperson, Vice-Chairperson and Members should be trained, so that they could book the Conference Hall Online for holding the Sitting.)

(नन्द कुमार साय)
अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
नई दिल्ली

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Addl Agenda - 4

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

डॉ. देव स्वरुप
(पूर्व कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर)
संयुक्त सचिव

Dr. Dev Swarup
(Former Vice-Chancellor, University of Rajasthan, Jaipur)
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

दूरभाष Phone :011-23212027
Email : devswarupugc@gmail.com | dev.ugc@nic.in

No.F.1-5/2006 (SCT) 05 **March, 2018**

- 5 MAR 2018

The Registrar(s)
All Central Universities
All State Universities receiving grant-in-aid.
Deemed to be Universities receiving grant-in-aid by UGC/Government.
Inter University Centres of UGC

प्रेषित
ISSUED

Subject: Implementation of Reservation Policy of the Government of India – Reg.

Sir/Madam,

With reference to the above subject, I am to inform that for implementation of reservation policy of the Central Government, MHRD vide order No. 6-30/2005-U5 dated 6th December, 2005 directed the UGC to ensure effective implementation of the reservation policy in the Central Universities and those of Institutions Deemed to be Universities receiving aid from the public funds except in minority institutions under Article 30(1) of the Constitution. Accordingly, UGC, vide letter No. 1-5/2006(SCT) dated 25-08-2006, circulated new Guidelines for strict implementation of Reservation Policy of the Government. This has been further reiterated by MHRD O.M.No. 12-60/2013-U1 dated 25-6-2013.

The Ministry of Human Resource Development vide its letter No. 1-7/2017-CU.V dated 06-09-2017 has directed the UGC to examine the issues mentioned in judgments (10 in number) as quoted by the Hon'ble High Court of Allahabad, in its order dated 07-04-2017 and submit its recommendations to MHRD for their consideration and appropriate decision.

Accordingly, UGC had constituted a Committee and submitted its recommendations to Ministry of Human Resource Development on 07-11-2017. Thereafter, in compliance of the judgement of the Allahabad High Court as upheld by the Hon'ble Supreme Court of India and in view of advice tendered by the DoPT and recommendations of the UGC, MHRD vide its

Contd...

- 5 MAR 2018

O.M. No.1-7/2017-CU.V dated 22-02-2018; has intimated that the department's O.M.No.12-60/2013-U1 dated 25.06.2013 stands amended to the extent as mentioned below in the UGC guidelines 2006, in accordance with the recommendations of the UGC, which are as under:

" (i) **Clause 6(c):**
In case of reservation for SC/ST, all the Universities, Deemed to be Universities, Colleges and other Grant-in-Aid Institutions and Centres shall prepare the roster system keeping the Department / Subject as a unit for all levels of teachers as applicable.

(ii) **Clause 8(a)(v):**
The roster, department-wise, shall be applied to the total number of posts in each of the categories [(e.g.) Professor, Associate Professor, Assistant Professor] within the Department/Subject".

The above decision may also be circulated to its constituent and affiliated colleges for immediate follow up action.

You are requested to prepare fresh rosters within one month of receipt of this letter under intimation to UGC.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully

(Dev Swarup)

Copy to :

1. Shri Subodh Kumar Ghildiyal, Deputy Secretary, Ministry of Human Resource Development, Shastri Bhawan, New Delhi -110001
2. The Chief Secretaries of all State Government / UT's
3. PS to Chairman/PS to Secretary/PS to Financial Advisor/PS to AS-I & AS – II, UGC.
4. JS (CU),JS (DU),JS (DC),JS (IUC) UGC
5. PO (Website), UGC for publication on the website of the UGC.

(Dev Swarup)

प्रेषित
ISSUED